उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : खण्डपीठ ग्वालियर

निविदा सूचना

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 के अवसर पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में स्वल्पाहार की व्यवस्था किए जाने हेतु विभिन्न फर्मो से कोटेशन आमंत्रित किए जाते है। कोटेशनो में स्वल्पाहार की विस्तृत जानकारी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आफिशियल वेबसाईट पर उपलब्ध है। इच्छुक फर्मो के द्वारा दिनांक 08.08.2025 शाम 04:00 बजे तक अपनी दरे प्रस्तुत की जा सकती है।

30/07/25

(अनिल कुमार देशमुख)
डिप्टी रजिस्ट्रार/सी.एल.

Chief Librarian
Deputy Registrar (In-Charge)
High Court of M.P., Bench-Gwalior

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : खण्डपीठ ग्वालियर

निविदा सूचना

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 के अवसर पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में स्वल्पाहार की व्यवस्था किए जाने हेतु विभिन्न फर्मो से कोटेशन आमंत्रित किए जाते है। कोटेशनो में स्वल्पाहार एवं अन्य व्यवस्थाओ की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :—

व्यवस्था का प्रकार	अनुमानित संख्या	खाद्य सामग्री
नाश्ते की व्यवस्था प्लेट सिस्टम द्वारा	800 से 1000 अनुमानित	पौहा, जलेबी, वेज पकौड़ी, समोसा, कचौड़ी, ढोकला, चाय/कॉफी, पानी की बोतले व पानी के केन
नाश्ते के डिस्पोजेबल डिब्बे	450 से 550	समोसा, कचौड़ी, ढोकला, सेण्डविच, गुलाब जामुन

- इच्छुक फर्मो के द्वारा पर्याप्त संख्या में खाद्य सामग्री बनाने एवं सर्व करने, प्लेटो को साफ करने इत्यादि कार्यो के लिए स्टाफ की व्यवस्था की जावेगी।
- काउण्टर के लिए टेबिल, झालर अच्छी गुणवत्ता की क्रॉकरी, पानी के केन, छोटी डिस्पोजेबल पानी की बोतले, पर्याप्त डस्टबिने जगह—जगह पर रखी जावेगी।
- फर्मो के द्वारा अपने कोटेशनो में स्पष्ट रूप से स्टाफ की संख्या एवं उपरोक्त व्यवस्थाओ एवं दरो का उल्लेख किया जावेगा।
- उपलब्ध कराया जाने वाले स्टाफ में हलवाई, बर्तनो की साफ—सफाई करने वाले कर्मचारियो के अतिरिक्त स्वच्छ वेशभूषा(Uniform) कम से कम 15 वेटर होना अनिवार्य है।
- उपरोक्त समस्त व्यवस्था दिनांक 15.08.2025 सुबह 08:30 तक सुनिश्चित की जाना है। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता या व्यवस्थाओ में कमी होने पर अर्थदण्ड स्वरूप 25 प्रतिशत तक राशि की कटोती देयक की राशि में से की जा सकेगी।
- फर्मो के चुनाव के समय आवश्यकतानुसार खाद्य सामग्री एवं क्रॉकरी के सेंपल प्रस्तुत करने हेतु फर्मो को कहा जा सकता है। सेंपलो की गुणवत्ता एवं दरो के आधार पर फर्मो का चुनाव किया जा सकेगा।
- फर्मो का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है एवं शासकीय विभागो में कार्य का अनुभव रखने वाली फर्मो को प्राथमिकता दी जावेगी।

30/07/25

(अनिल कुमार देशमुख)
डिप्टी रजिस्ट्रार/सी.एल.